न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 3204/दो/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 22-5-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 624/2013-14 अपील

1- श्रीमती लता रावत पत्नि बृजलाल रावत
2- श्रीमती सुशीला रावत पत्नि भैयालाल राव
दोनों ग्राम बसैला तहसील मनगवां जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- बृजभान पटैल पुत्र रामसुन्दर पटैल
2- मोहन पटैल पुत्र रामसुन्दर पटैल
ग्राम पुर्वा 310 तहसील मनगवॉ जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी.के. सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 624/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार मनगवॉ ने प्रकरण क्रमांक 22 अ 27/11-12 में पारित आदेश दिनांक 2-3-12 से उभय पक्ष के बीच भूमि का बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मनगवां ने प्रकरण कमांक

58/11-12 अ-27 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-5-14 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क्र0 624/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-15 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये एंव अपील स्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये। बृजभान पटैल अनावेदक की ओर लेखी बहस भी प्रस्तुत हुई है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने , लेखी बहस के तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार मनगवॉ द्वारा प्रकरण क्रमांक 22 अ 27/11-12 में पारित आदेश दिनांक 2-3-12 से पक्षकारों के बीच भूमि का बटवारा किया है। अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ ने प्रकरण क्रमांक 58/11-12 अ-27 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-5-14 से तहसीलदार के आदेश का पुष्टिकरण किया है। अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इस आधार पर निरस्त किये है कि तहसीलदार द्वारा जिन भूमियों का बटवारा/नामान्तरण किया है उसमें बृजभान को विधिवत् सूचना नहीं कराई गई है एंव इस पक्षकार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश देते हुये बटवारा/नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। जिन भूमियों का बटवारा किया गया है उनमें से सभी भूमि सहखाते की नहीं है कुछ भूमियॉ बृजभान के निजी खाते की है। बटवारा आदेश असमान प्रक्रिया पर आधारित होना पाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क्र0 624/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-15 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-3-12 को एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29-4-14 को निरस्त किया है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 22-5-15 से वादग्रस्त भूमियां 2012 के पूर्व की स्थिति में पहुंच गई। विचार योग्य है कि क्या भूमियों को वर्ष 2012 के पूर्व की स्थिति में लाये जाने से पक्षकारों के बीच

बटवारे की समस्या का समाधान हो गया है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 22-5-15 से भूमियाँ वर्ष 2012 के पूर्व की स्थिति में पहुंच जाने से पक्षकारों के बीच व्यर्थ विवाद बढ़ने की स्थिति निर्मित होगी एंव बटवारे की समस्या का समाधान नहीं होगा। स्पष्ट है कि आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 22-5-15 अपूर्ण आदेश है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 624/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-15 , अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ द्वारा प्रकरण कमांक 58/11-12 अ-27 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-5-14 तथा तहसीलदार मनगवॉ द्वारा प्रकरण कमांक 22 अ 27/11-12 में पारित आदेश दिनांक 2-3-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार मनगवॉ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पक्षकारों द्वारा धारित भूमियों की पारिवारिक अथवा निजी भूमि होने के संबंध में जॉच करें तथा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर